न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

· पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 35/2013 ई.रे. दिनांक 29.9.2025

1— देवी सिंह पिता राम सिंह महसानी निवासी बोहेडा, तहसील बडीसादडी
2— फतेह सिंह पिता राम सिंह महसानी निवासी बोहेडा, तहसील बडीसादडी

— प्रार्थीगण

बनाम

1— बाबरू पिता उॅकार डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी (नाम डिलीट किया गया)
2— गोदा पिता उॅकार डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी (नाम डिलीट किया गया)
3— नारायण पिता उॅकार डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी
4— जमनालाल पिता हीरालाल डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी
5— शंकर पिता उॅकार डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी (नाम डिलीट किया गया)
6— हरलाल पिता बाबरू जाति डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी
7— छोगालाल पिता बाबरू डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी
8— जगदीश पिता बाबरू डांगी निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री जी.एस. झाला वकील प्रार्थीगण
श्री एम. एच. खान वकील विपक्षी संख्या 1 से 6 व 8

—:: आदेश::—

1. प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध ठोस तथ्यों पर न्यायालय आप में प्रस्तुत कर दिया है जो निश्चिय ही प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा परन्तु जिसके अन्तिम निस्तारण में समय लगने की सम्भावना है।
2. प्रार्थीगण के पिता रामसिंह महसानी के खातेदारी व प्रार्थीगण के कब्जेयाबी की आराजी मौजा बोहेडा पटवार हल्का बोहेडा तहसील बडीसादडी में स्थित होकर उसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या	आराजी न0	रकबा	लगानी
1098	2445	0.07	0.10
	2446	1.02	8.80
	4701/2443	0.05	0.05
	4955/2840	4.18	6.90
	525	0.11	—

कुल किता 5 रकबा 7 बिघा 18 बिस्वा लगानी 18.2[illegible]

3. उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तैनी होकर [illegible] पिता रामसिंह के खातेदारी की होकर उनके पिता राम सिंह की मृत्यु होकर वर्तमान में विरासतन प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है तथा मृतक खातेदार राम सिंह के बाद प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उस पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बडीसादडी

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित आराजी नम्बर 4701/2443 रकबा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 525 रकबा 1 बिघा 06 बिस्वा के कूछ हिस्से पर जो प्रार्थीगण के कब्जेयाबी व उनके पिता के खातेदारी की है उस पर विपक्षीगण एक लगायत आठ जबरन लठ के बल पर कब्जा कर वहॉ पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा मकान निर्माण करने पर अमादा है तथा प्रार्थीगण अक्सर मजदूरी के सिल सिले में बाहर रहते है जिसका नाजायज फायदा उठाकर अतिक्रमण कर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर अमादा है तथा वर्तमान में कूछ हिस्से पर तो मकान का निर्माण कार्य भी विपक्षीगणों द्वारा अवैध तरिके से कर लिया है तथा प्रार्थीगण के द्वारा मना करने पर की उक्त तरिके भूमी उसकी पुश्तैनी है तथा विपक्षीगण को उस पर निर्माण कार्य करने को का कोई हक नहीं है फिर भी जबरन विपक्षीगण अवैध तरिके से प्रार्थीगण की आराजीयात पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है । जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है। तथा प्रार्थी विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है

5. विपक्षीगण सभी हम सलाह हो अवैध समूह बनाकर प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी की भूमी पर जबरन अवैध तरिके से कब्जा करने व प्रार्थीगण को नुकसान पहुचाने पर अमादा है तथा वहां पर अवैध तरिके से पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है तथा कृषि भूमी को अकृषि के उपयोग में गलत तरिके से लेने पर आमादा है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रार्थीगण उक्त आराजी का स्वामी होकर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

6. प्रार्थी के कब्जयाबी व खातेदारी की आराजीयात में विपक्षीगण जबरन दखल अन्दाजी करने पर अमादा है व निमार्ण कार्य करने पर अमादा है जिसका उसको कोई हक व अधिकार नही है व प्रार्थीगण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

7. प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक व न्यायाचित है। अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा विपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी अपनी आराजीयात के सही उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगा तथा उसको व्यर्थ की मुकदमें बाजी का सामना करना पडेगा तथा उसे नुकसान उठाना पडेगा जिसकी पूर्ति किसी भी स्थिति में संम्भव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वे प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात आराजी नम्बर 4701/2443 रकबा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 525 रकबा 1 बिघा 06 बिस्वा में जो प्रार्थी के स्वामित्व की व कब्जेयाबी की भूमी है उसमें दखल अन्दाजी न करे न करावे। व किसी प्रकार का निर्माण कार्य मूलवाद के निस्तारण तक न करे न करावे।

वकील विपक्षीगण के ने अपने जवाब मे निम्न बिन्दु पेश किये।

1. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित अनुसार वादपत्र प्रस्तुत होना स्वीकार हैं किन्तु वादी/प्रार्थीगण ने मिथ्या एवं निराधार वादपत्र प्रस्तुत किया हैं जो निश्चित रूप से खारिज होगा अतः समवर्ती अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रासंगिक व विचारणीय नहीं हैं।

2. चरण संख्या दो में वर्णित तथ्य विरोधभासी व वर्तमान राजस्व अभिलेख के सक्षम दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया जावें। उक्त चरण में वर्णित आराजी संख्या 525 मौके पर स्थित नहीं है, न ही उक्त नम्बर की आराजी प्रार्थीगण अथवा स्व. रामसिंह मेहसानी से खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में रकबा 11 बिस्वा बताया गया है, इसके विपरीत प्रार्थना पत्र की चरण संख्य तीन में आराजी संख्या 525 रकबा एक बीघा छह बिस्वा वर्णित किया गया है। अतः दोनों ही अभिवचन एक दूसरे के विपरीत है और गलत व[illegible] जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं रहता है। आराजी संख्या 2443 रकबा पांच बिस्वा [illegible] राम[illegible] की खातेदारी में नहीं होकर विपक्षी बावरू, गोटु नारायण , हीरा उर्फ हरलाल और शंकर लाल [illegible] खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी सं. 2443 विनायका से बोहडो रोड पर [illegible] स्थित है। इसके अलावा आराजी संख्या 4703/2446 रकबा एक बीघा आठ [illegible]कार डांगी की खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

3. चरण संख्या तीन में वर्णित तथ्य असत्य होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजी से कोई संबंध नहीं है बल्कि उक्त अराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी में ही दर्ज नहीं है। विशेष रूप से आराजी संख्या 4700/2443 रकबा 5 बिस्वा और आराजी संख्या 4703/2446 तो विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आशय का राजस्व अभिलेख एवं नक्शा संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण का वर्णित आराजीयात पर न तो कब्जा हैं, न ही उक्त भूमि उनके उपयोग उपभोग में है। विशेष वर्णन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 एवं 5 में वर्णित तथ्य पूर्णतया असत्य, आधारहीन और मन गढन्त होने से अस्वीकार है। आराजी संख्या 4700/2443 पूर्व वर्णित अनुसार न तो प्रार्थीगण या उनके पिता की खातेदारी में दर्ज हैं, न ही उक्त आराजी के अंश ामत्र हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा मौजुद है। खाता संख्या 1098 में आराजी संख्या 525 अंकन से कोई भूमि वर्तमान अभिलेख में दर्ज नहीं है। मौके पर स्थित आराजीयात एवं उनकी खातेदारी रकबे तथा कब्जे का वास्तविक वर्णन अभेलेख अनुसार निम्न प्रकार प्रस्तुत है

खातेदार	आराजी नं.	रकबा
बाबरू पुत्र उंकार डांगी	4703/2446	01–08
बाबरू गोटु, नारायण, हीरा , शंकर डांगी	4700/2443	00–05
बाबरू, गोटु, नारायण , हीरा , शंकर पिता उंकार डांगी 7/8	2444 आ.चा.	00–06
रामसिंह पिता नन्दराम डांगी 1/8		
गोटु पिता उंकार डांगी बगदीराम, नंदलाल पिता गोटु डांगी	4699/2442	01–05
रामेश्वर पिता नारायण डांगी 1/3 परसराम, राधेश्याम पिता नारायण डांगी 2/3	4693/2442	01–04
जमनालाल पिता हीरालाल डांगी	4696/2442	00–05
	4698/2442	01–01
शंकर पिता उंकार डांगी	4694/2442	00–06
	4695/2442	01–05

इस प्रकार आराजी संख्या 4700/2443 प्रार्थीगण की खातेदारी में ही दर्ज नहीं है वरन विपक्षीगण की खातेदारी स्वामित्व और आधिपत्य में है। उक्त आराजी विनायका–बोहेडा रोड पर स्थित होकर इस आराजी के पीछे अर्थात पूर्व दिशा में आराजी संख्या 2442/2446 स्थित हैं। इसी प्रकार आराजी संख्या 4700/2443 के दक्षिणी कोने पर अंत में आराजी चाह संख्या 2444 स्थित है जो भी विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज है। आराजी संख्या 2442 का विपक्षीगण ने आपसी सहमति से बंटवारा वर्षो पूर्व कर लिया तथा इस आराजी के वर्तमान में छ हिस्से विपक्षीगण की अलग अलग खातेदारी में दर्ज है। इसके समीपवर्ती आराजी संख्या 4703/2446 विपक्षी बाबरू डांगी की खातेदारी में दर्ज है। आराजी संख्या 2442 के विभिन्न हिस्सों तथा आराजी संख्या 4703/2446 पर विपक्षीगण कृषि कार्य करते है और इसके समीपवर्ती आराजी संख्या 2443 पर कतार से विपक्षीगण के मकानात बाडे आदि 40 वर्ष से अधिक समय से बने हुए है। मौके इस मौके पर मौजूद निर्माण और कब्जे की स्थिति को संलग्न नजरी नक्शे में स्पष्ट दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण के मकानात हाल ही में निर्मित नहीं होकर 40 [illegible] के [illegible]क पुराने हैं। इसकी पुष्टि विपक्षी के मकान पर लगे शिलालेख से होती हैं, जिसमे मकान निर्मित ह[illegible] की तारीख सन् 1968 की अंकित हैं। विपक्षीगण के कई मकानात तो पुराने होकर जर्जर अवस्था में पहुं[illegible]के हैं इस समग्र स्थिति को संलग्न कलर फोटोग्रफ से स्पष्ट किया जा रहा है। समग्र रूप से यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 4700/2443 पर न तो

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वपिक्षीगण का कोई अतिकमण हैं, न ही विपक्षीगण ने हाल ही में कोई निर्माण कार्य किया है, न ही विपक्षीगण ने जबरन कब्जा किया हैं। उक्त भूमि विपक्षीगण के स्वामित्व आधिपत्य और खातेदारी की होने से प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने अथवा निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी कतई निर्मित नहीं होते हैं।

5. चरण संख्या छह के तथ्य पूर्व वर्णित तथ्यों का दोहराव होकर असत्य वर्णन किये जाने से अस्वीकार हैं। विपक्षीगण हैं। विपक्षीगण ने न तो जबरन कब्जा किया है न ही अतिकमी की हैसियत में एक वर्ष में काबिज हुए हैं। मौके की स्थिति एवं मौजुद निर्माण जो 40 वर्ष से अधिक पुराना है को देखते हुए यह असंभव है। कि एक वर्ष में ही विपक्षी काबिज हुये हो चूंकि उक्त भूमि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज है। अतः उन्हें अतिकमी कहना कानून की परिभाषा से परे होकर प्रार्थीगण की दुर्भावना व्यक्त करता है। खातेदार काश्तकर और वैध कब्जा धारक के विरूद्ध प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी निर्मित नहीं होते है।
6. चरण संख्या सात में वर्णित तथ्य सर्वथा असत्य होकर अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में कतई निर्मित नहीं होता है क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं हैं, ही उक्त भूमि पर प्रार्थी का आधिपत्य हैं। सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्मित नहीं होता है क्योंकि खातेदार व वैध आधिपत्यधारी को कानूनन किसी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं, मौके पर विपक्षीगण के मकानात सन् 1968 से बने हुए है, जिन्हें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर निश्चित रूप से असुविधा होगी और उनके अधिकारों का हनन होगा। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है।

—:विशेष कथनः—

1. प्रार्थीगण का मूल वाद ही परिसीमा अवधि के अन्तर्गत बाधित होकर प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्थान टेनेंसी एक्ट की तृतीय अनुसूची में वर्णित अनुसार धारा 183 के तहत प्रस्तुति के लिए 12 वर्ष की परिसीमा वाद कारण उत्पन्न होने की तिथि से निर्धारित हैं। हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण के मकानात सन् 1968 में निर्मित होने से वाद कारण एवं परिसीमा अवधि दोनों ही अवधि बाधित हो चुके हैं। इसी प्रकार धारा 188 के तहत परिसीमा अवधि 3 वर्ष प्रार्थना पत्र निश्चित रूप से अवधि बाधित है और सुनवाई के प्रथम स्तर पर ही प्रकरण खारिज किये जाने योग्य है।
2. स्व. रामसिंह महसानी तथा विपक्षीगण बाबरू एवं हीरालाल डांगी के मध्य दिनांक 27.06.1987 को वादग्रस्त आराजीयात बाबत् विनिमय का आपसी सहमति से इकरार निष्पादित हुआ है। जिसमें विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा स्व. रामसिंह ने स्वीकार किया हुआ है। विपक्षीगण अर्से कदीम से वादग्रस्त भूमि पर वैध प्रकिया से काबिज है और स्व. रामसिंह की सहमति व स्वीकारोक्ति से अब प्रार्थीगण को न तो वाद कारण उत्पन्न होता है और न ही कोई एतराज उठाने का अधिकार रहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य रहता हैं।
3. आराजी संख्या 4700/2443 विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज हैं। सन् 1968 से विपक्षीगण के मकानात निर्मित होकर उनका निरंतर आधिपत्य चला आ रहा है। ऐसी सूरत में विपक्षीगण न तो अतिकमी रहते हैं, न ही अवैध कब्जाधारी की श्रेणी में आते हैं। वैध स्वामित्वधारी खातेदार के विरूद्ध कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं, न हीं उनके वैध कब्जे में कोई दखल किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रकरण समस्त दृष्टि से दूषित होने व कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किये जाने से निश्चित रूप से खारिज योग्य हैं।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस [illegible] किया गया। प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को [illegible]ना होता है :—

1— प्रथम दृष्टया मामला
2— सुविधा का संतुलन
3— अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

1– प्रथम दृष्टया मामला

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 की आराजीयात का उल्लेख किया है ।

खाता संख्या	आराजी न0	रकबा	लगानी
1098	2445	0.07	0.10
	2446	1.02	8.80
	4701/2443	0.05	0.05
	4955/2840	4.18	6.90
	525	0.11	–

वे आराजीयात वकील विपक्षीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 की से बिल्कुल विपरीत है।

खातेदार	आराजी नं.	रकबा
बाबरू पुत्र उंकार डांगी	4703/2446	01–08
बाबरू गोटु, नारायण, हीरा , शंकर डांगी	4700/2443	00–05
बाबरू, गोटु, नारायण , हीरा , शंकर पिता उंकार डांगी 7/8	2444 आ.चा.	00–06
रामसिंह पिता नन्दराम डांगी 1/8		
गोटु पिता उंकार डांगी	4699/2442	01–05
बगदीराम, नंदलाल पिता गोटु डांगी		
रामेश्वर पिता नारायण डांगी 1/3	4693/2442	01–04
परसराम, राधेश्याम पिता नारायण डांगी 2/3		
जमनालाल पिता हीरालाल डांगी	4696/2442	00–05
	4698/2442	01–01
शंकर पिता उंकार डांगी	4694/2442	00–06
	4695/2442	01–05

वकील प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई पर्चा मौका या दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि विपक्षीगण द्वारा कब्जा किया जा रहा हो। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में दस्तावेजों एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है जिस आधार पर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जा सके। इसलिये प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–

उक्त दोनों विन्दु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि आराजी नम्बर 4701/2443 रकबा 0.5 विस्वा व आराजी नम्बर 525 रकबा 1.06 विस्वा पर विपक्षीगण द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है लेकिन पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। जिससे यह साबित हो रहा हो कि विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजी पर हस्तक्षेप किया जा रहा है । इस प्रकार दोनो बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध तय किये जाते है।

तीनो ही तात्विक विन्दुओं को प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने से अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2025 को सरे इजलास लिखाया [illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.12.17 11:46:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी